निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा,आर.ए.एस.

दिनांक: 13.01.2022

रण संख्या –04/2021

अनवान

1. प्यारचंद पिता भेरूलाल धाकड उम्र वयस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर हाल मुकाम जयसिंहपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ (राज0)
2. कंवरी बाई पत्नि भेरूलाल धाकड उम्र वयस्क निवासी सुखवाडा तहसील हाल मुकाम जयसिंहपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ (राज0)

............अपीलांट्स

।। **बनाम** ।।

1. ग्राम पंचायत सुखवाडा जरिये सरपंच ग्रा0पं0 सुखवाडा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

.... रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत सुखवाडा द्वारा स्वीकृत नामांतरण सं0 454 दिनांक 25.05.1999

उपस्थित– श्री सुरपाल सिंह गौड वकील अपीलार्थी

अपीलांट्स की ओर से अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत किया गया

कि :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सुखवाडा द्वारा उक्त नामांतरण 454 दिनांक 25.05.1999 न्याय निर्णय के विरूद्ध जाकर जो नामांतरण तस्दीक किया है वह वाक्याती तथ्यो से हटकर गलत खोला गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम सुखवाडा प0ह0 सुखवाडा की खाता संख्या 245 पर दर्ज आ.नं. 341 रकबा 0.21 हैक्टेयर, आ.नं. 349 रकबा 0.48 हैक्टेयर, आ.नं. 406 रकबा रकबा 0.04 हैक्टेयर, आ.नं. 408 रकबा 0.43 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.16 हैक्टेयर एंव खाता संख्या 246 पर दर्ज आ.नं. 407 रकबा 0.06 हैक्टेयर कृषि भूमि का नामांतरकरण संख्या 454 दिनांक 25.05.1999 को अपीलांट्स के नाम खोला गया जिसमें अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:15:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौडगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौडगढ

Scanned with CamScanner

संख्या 01 का राजस्व रेकार्ड में प्यारचंद धाकड के बजाय बाबूलाल व अपीलांट संख्या 2 का नाम कंवरीबाई पत्नि भेरूलाल के बजाय कंवरी पत्नि भेरा अंकित कर दिया जबकि अधिनस्थ न्यायालय को नामांतरकरण खोलने से पहले अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत किये गये सम्पूर्ण दस्तावेजो का अवलोकन करना चाहिए था जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया ना हि किसी प्रकार की जांच की गई ओर सीधे ही मनमाने तौर पर अपलांट संख्या 01 प्यारचंद धाकड के बजाय बाबूलाल व अपीलांट संख्या 2 का नाम कंवरीबाई पत्नि भेरूलाल के बजाय कंवरी पत्नि भेरा अंकित कर दिया जिससे दुखी एवं व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. यह कि अपीलांट संख्या 01 का वास्तविक नाम प्यारचंद धाकड एवं अपीलांट संख्या 2 का नाम कंवरीबाई पत्नि भेरूलाल है और यही नाम उनके आधार कार्ड, राशनकार्ड में भी अंकित है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने इन दस्तावेजो को पढ़े एवं अवलोकन किये बिना ही एवं बिना नोटिस सूचना दिये उक्त नामांतरकरण खोल दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि उक्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में अपीलांट सं. 01 का नाम प्यारचंद धाकड के बजाय बाबूलाल व अपीलांट संख्या 2 का नाम कंवरीबाई पत्नि भेरूलाल के बजाय कंवरी पत्नि भेरा अंकित कर दिये जाने से अपीलांट्स को अपनी उक्त कृषि आराजीयात पर सरकारी योजनाओ का लाभ नहीं मिल पा रहा है जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वार पारित उक्त नामांतरकरण संख्या 454 को निरस्त कर उक्त खाते वाली आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में अपीलांट्स का नाम उपरोक्तानुसार दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

5. यह कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम [illegible]डा द्वारा उक्त नामांतरकरण में की गई [illegible] की [illegible]कारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं थी। अपीलांट्स को सर्वप्रथम जान[illegible] सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के लिये जमाबंदी की न[illegible]ल दिनांक 13.07.2021

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:15:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

को प्राप्त करने पर हुई, जानकारी प्राप्त होते ही अपीलांट्स ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर विधिक राय प्राप्त प्राप्त कर अपील तैयार करवाई जो बिना देरी के अंदर अवधि के पेश है। फिर भी अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य कराने के लिये धारा 5 कानून मियाद का प्रा0प0 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सुखवाडा द्वारा स्वीकृत नामांतरण सं. 454 दिनांक 25.05.1999 को निरस्त फरमाये जाकर अपीलांट संख्या 01 का वास्तविक नाम प्यारचंद धाकड पिता भेरुलाल धाकड एवं अपीलांट संख्या 2 का वास्तविक नाम कंवरीबाई पत्नि भेरुलाल धाकड के नाम से इंतकाल फैसल किये जाने का आदेश प्रदान करावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सूचना पत्र रजिस्टर्ड ए0डी0 से प्रेषित कर तलब किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।

1. नामांतरकरण की फोटो प्रति
2. नकल जमाबंदी मौजा सुखवाडा खाता संख्या 245, 246 संवत् 2076
3. आधार कार्ड अपीलांट सं. 01 प्यारचंद 321430036931
4. अपीलांट्स का राशनकार्ड 010070800007
5. अपीलांट सं. 01 का मतदाता पहचान पत्र
6. आधारकार्ड अपीलांट सं. 02 कंवरीबाई 595007788864

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:15:36 IST
Reason: SelfAttested

अपील पर प्रस्तुत दस्तावेजो का अ[illegible] करने से यह जाहिर होता है कि अधिनस्थ [illegible] [illegible] सुखवाडा द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण सं. 454 दिनांक [illegible]05.1999 पर निर्णय पारीत करते समय अपीलार्थीयो को सूचित [illegible]हीं किया गया ना हि

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला - चित्तौड़गढ़

लिए मैंने विश्वास कर लिया है।

Scanned with CamScanner

दस्तावेजो का सही तरीके से अवलोकन किया गया। ग्रामीण पृष्ठ भूमि पर ग्राम पंचायत न्याय का एक सशक्त माध्यम होता है किन्तु अधिनस्थ ग्राम पंचायत सुखवाडा द्वारा अपीलांट संख्या 01 का राजस्व रेकार्ड में प्यारचंद धाकड के बजाय बाबूलाल व अपीलांट संख्या 2 का नाम कंवरीबाई पत्नि भेरूलाल के बजाय कंवरी पत्नि भेरा अंकित कर दिया गया जो निरस्त किया जाना उचित है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है। सिविल प्रक्रिया संहित 1908 की धारा 107 (1) क में प्रद्वत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजा सुखवाडा के नामान्तरकरण संख्या 454 दिनांक 25.05.1999 पर पारीत ग्राम पंचायत सुखवाडा का निर्णय अपास्त किया जाता है। एवं अपीलांट्स के दस्तावेजो में अंकित नाम अपीलांट संख्या 01 प्यारचंद धाकड पिता भेरूलाल धाकड एंव अपीलांट संख्या 02 कंवरीबाई पत्नि भेरूलाल धाकड अनुसार नवीन नामांतरण खोलने के आदेश दिया जाता है।

निर्णय पृथक से टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर ★ जिला - चित्तौड़गढ़ ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:15:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner